4-08-2020

Dr. purnima Singh
department of political Science
B.A part II paper-III Indian Govt and politics. Topic - powers of president - 5 Topic - 82

राष्ट्रपति की शक्तियाँ (powers of president)

कार्यकारी शक्तियाँ (Executive powers)

5. वित्तीय विधेयक (Financial Bill) राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति के बिना लोक सभा में पेश नहीं हो सकता।

6. राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय (Anglo-Indian Community) के दो सदस्य लोक सभा में मनोनीत करता है और 12 सदस्य राज्य सभा में साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है।

7. अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप समूहों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को नियम बनाने का अधिकार है जो संसद के कानूनों की तरह लागू होते हैं।

8. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति विधेयक (Bill) को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसको सन्देश सहित सदन को वापस भेज सकता है,

9. अध्यादेश जारी करने का अधिकार - जब लोक सभा का अधिवेशन न हो रहा हो और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जो साधारण कानून द्वारा न निपटायी जा सकती हो, तो राष्ट्रपति को

अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे अध्यादेश (ordinance) का प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होती है।

वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

राष्ट्रपति को कुछ वित्तीय अधिकार भी प्राप्त है: जैसे

1. कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना लोक सभा में पेश नहीं किया जा सकता,
2. भारत की आकस्मिक निधि (Contingency Fund) पर राष्ट्रपति का पूरा नियन्त्रण होता है व केन्द्रीय सरकार को किसी आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए इस फंड में से व्यय करने की आज्ञा दे सकता है।
3. वित्त सम्बन्धी मामलों में परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति वित्त आयोग (Finance Commission) की नियुक्ति कर सकता है।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। जैसे – राष्ट्रपति न्यायालयों से दंडित लोगों के दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है तथा यदि चाहे तो क्षमा भी कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह तब करता है यदि (1) किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया हो; (2) उसे संघीय कानून की अवहेलना के कारण दंड दिया गया हो या (3) उसे किसी सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो, परन्तु ऐसा करने से किसी भी अधिकारी की शक्ति पर प्रभाव न पड़ता हो। राष्ट्रपति दंड को केवल कम या क्षमा कर सकता है, उसे बढ़ा नहीं सकता। राष्ट्रपति अपनी इन न्यायिक शक्तियों का प्रयोग गृहसचिव (Home secretary) की सलाह पर करता है।